
PRESIDENT (राष्ट्रपति)




Who is president, and what is his/her constitutional position in Indian Polity?

राष्ट्रपति कौन है, और भारतीय राजनीति में उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है?



- The President of India is the head of state and the first citizen of India.
 भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष और भारत का प्रथम नागरिक होता है। ॰ भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष और भारत का प्रथम नागरिक होता है।



- o As per the Constitution of India, the President is the supreme commander of the Indian Armed Forces and has the power to appoint the Prime Minister and other members of the Union Council of Ministers, as well as to dismiss them.
- भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपित भारतीय स्थास्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापित होता है और उसे प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने तथा उन्हें पदच्युत करने का अधिकार होता है।

- The President acts as a figurehead and represents the nation's unity.
- ं राष्ट्रपति एक नाममात्र के मुखिया के रूप में कार्य करता है और राष्ट्र की एकता का प्रतिनिधित्व करता है।
- The President's powers are largely ceremonial, with real executive power vested in the Prime Minister and Cabinet
- राष्ट्रपति की शक्तियाँ अधिकांशतः औपचारिक होती हैं, वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। 350 360
- Office of the President came into existence immediately after the constitution was adopted on 26 November 1949.
- 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने के तुरंत बाद राष्ट्रपित का पद अस्तित्व में आया।

Qualification for President

To be eligible to run for President, a person must meet the following criteria:/ राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के योग्य होने के लिए, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

- o Be a citizen of India. / भारत का नागरिक होना।
- Be at least 35 years old. / कम से कम (35 वर्ष) का होना।
- Meet the qualifications to be a member of the Lok Sabha. / लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएँ पूरी करना।
- Not hold any office of profit under the Union or state government or any local or other public authority. / केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करना।

Preside Loknabha -> 25/3. L. AMembly (नि संक्रा) Ray yasabha > 30/m L. Council (A. ykgug)

Qualification for President

- The nomination paper of a candidate must be signed by at least 50 electors as Proposers and 50 electors as Seconders./ कि.सी उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 मतदाताओं और समर्थक के रूप में 50 मतदाताओं के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- Every candidate has to make a security deposit of INR 15000 in RBI, liable to be forfeited in case candidate fails to secure 1/6th of the votes polled./ प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिज़र्व बैंक में 15,000 रुपये की ज़मानत राशि जमा करनी होगी, जो कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में विफल रहने पर ज़ब्त हो जाएगी।



- The President serves a term of five years from the date they take office./
 राष्ट्रपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष का होता है।
- However, they can resign anytime by sending a resignation letter to the Vice-President./ हालाँकि, वे उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र भेजकर कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं।
- He/she can be removed from office through the process of impeachment before the completion of their term./ उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।
- The President can remain in office until their successor takes over and is eligible for re-election for any number of terms./ राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं और किसी भी संख्या में कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित होने के पात्र होते हैं।

Resign (2014) =>CAG -> President Person CEC -> President राह्रपति - उपराह्रपति CM -> GOVESHOY उपराष्ट्रण -> राष्ट्रपति PM -> Poeticlens Gowmon > President CJI -> President

Impeachment of President (Article 61)

Loksabla
Rajyasabla

- Impeachment process of president can be initiate in either house of Parliament./ राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है।
- The authority to impeach the President rests solely with Parliament only for "violation of the constitution"/ राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार केवल "संविधान के उल्लंघन" के लिए संसद के पास है।
- Impeachment of President is a quasi-judicial procedure in the Parliament./ राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद में एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है।

Procedure of Impeachment / महाभियोग की प्रक्रिया:

- President has right to appear & to be represented at such investigation.
- ं राष्ट्रपति को जाँच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है।
- A 14 days prior notice should be given to the President.
- ं राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए।

- Charges should be signed by 1/4th members of the house in which process initiated./ जिस सदन में प्रक्रिया शुरू की गई हो, उसके एक-चौथाई सदस्यों द्वारा आरोपों पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- After this, the resolution should be passed by the special majority by both the houses (i.e. Two third of the total membership of that house)/ इसके बाद, प्रस्ताव को दोनों सदनों (अर्थात उस सदन की कुल सदस्यता के दो-तिहाई) द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
 No president has so far been impeached. / अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं
- लगाया गया है।

 The nominated members of either house of parliament can participate / संसद के
 - किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। 🗸
- The elected members of the legislative assemblies of states and the UTs of Delhi and Puducherry do not participate in the impeachment of the president / राज्यों और दिल्ली व पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं।

Impeachment (Art. 61)

Rajyasabha 250 Member Nominated Loksabera 552 Member